बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,

Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.

वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001
दूरभाष / Phone :- +91-612-2222622 फैक्स नं० / Fax No:- 0612-2506218
web : www.bstdc.bihar.gov.in E-mail : contactbstdc@gmail.com

BSTDC

सं0सं0–364/26/टी0टी0/653/26 दिनांक– 19.02.2026

आमत्रंण सूचना

बिहार दिवस 2026 के अवसर पर गाँधी मैदान, पटना में "व्यंजन मेला 2026" के आयोजन हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित केटरर/संस्था/उद्यमियों से प्रस्ताव का आमंत्रण।

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉ0 लि0 द्वारा बिहार दिवस 2026 के अवसर पर दिनांक 22 से 24 मार्च 2026 तक गाँधी मैदान, पटना में **"व्यंजन मेला 2026"** का आयोजन प्रस्तावित है, अनुभवी पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित केटरर/संस्था/उद्यमियों से निर्धारित शर्तों एवं नियमावली के अधीन प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

आयोजन संबंधित विवरणी

- मेला अवधि 22–24 मार्च 2026, स्थल–गॉधी मैदान, पटना
- स्टॉल का निर्धारित आकार 15 फीट X 10 फीट (लगभग)

निगम के द्वारा निम्नलिखित मूलभूत व्यवस्थाएँ चयनित एजेन्सी के माध्यम से की जायेगी। जो निम्न हैः–
अस्थायी विद्युत आपूर्ति, पावर प्वाइंट, टेबुल, कुर्सी, डस्टबीन, सुरक्षा व्यवस्था, साफ–सफाई, पेयजल, हाउसकीपिंग इत्यादि की व्यवस्था की जानी है।

➢ बिहार एवं अन्य राज्यो के ऐसे प्रतिष्ठित एवं अनुभवी कैटरर/संस्था/उद्यमीयों, जो पारंम्परिक/स्थानीय/विशिष्ट व्यंजनों के निर्माण एवं विक्रय में दक्ष हो, आवेदन करने के पात्र होगें।

प्रति स्टॉल जमानत राशि 5000/– (पाँच हजार रूपये)

आवेदन प्रपत्र शुल्क 1000/– (एक हजार रूपये) जो नन रिफण्डेवल है।

आवेदन प्रपत्र से संबंधित तिथि की विवरणी निम्न हैः–

आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने एवं समाप्ति की तिथि	05.03.2026 से 11.03.2026 तक समय–03:00 बजे अपराह्न (सिक्ख हेरिटेज गुरूनानक भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ)
आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	12.03.2026 समय–02:00 बजे अपराह्न तक ट्रेवल एण्ड ट्रेड, शाखा, सिक्ख हेरिटेज गुरूनानक भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ
आवेदन प्रपत्र खोलने की तिथि	13.03.2026 समय–03:00 बजे अपराह्न तक
चयनित आंवटित दुकान से संबंधित सूचना की तिथि	21.03.2026 समय–04:00 बजे अपराह्न (स्थल–गॉधी मैदान, पटना में सूचना दी जायेगी।)

इससे संबंधित नियमावली ट्रेवल एंड ट्रेड शाखा, सिक्ख हेरिटेज भवन, पटना से निर्धारित कार्य दिवस मे आवेदन प्राप्त कर सकते है। तथा प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग प्रस्ताव दिया जाना है। आवेदन प्रपत्र एवं नियमावली निगम के वेबसाईट www.bstdc.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। सभी आवेदन प्रपत्र का शुल्क नगद एवं सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से भुगतेय बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के नाम से भुगतेय होगा। विशेष जानकारी हेतु श्री सुमन कुमार, प्रबंधक, ट्रैवल एण्ड ट्रेड, मो0–9431813305 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।

ह०/–
महाप्रबंधक

नियमावली

आवेदन निर्धारित प्रपत्र (इस नियमावली के साथ संलग्न) में भरकर मुहरबन्द लिफाफे में समर्पित किया जाना है। जिस व्यंजन हेतु आवेदन दिया जा रहा है, उसका नाम स्पष्ट रूप से लिफाफा पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के नाम से दिया जाना है। प्रत्येक आवंटित दुकान में फ्लैक्स, साईनबोर्ड से सजाने, संबंधित व्यंजन का चित्र एवं दर तालिका लगाने का कार्य निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्रत्येक स्टॉल में ''बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन'' व्यंजन मेला 2026 एवं निर्धारित थीम के साथ लिखा जायेगा। सफल आवेदक के द्वारा रू0 5,000/– (पाँच हजार रूपये) जमानत राशि के तौर पर जमा करना होगा जो व्यंजन मेला के समापन के उपरांत बिना किसी ब्याज के नियमावली में निहित कंडिका मे वर्णित प्रावधान के अनुसार वापस कर दिया जायेगा। नियमावली निम्नवत निर्धारित की जाती हैः–

1. व्यंजन मेंला में खाने–पीने की व्यवस्था में सरकार द्वारा फुड लाईसेंस/FSSAI इत्यादि के निर्धारित मापदंड का अक्षरशतः अनुपालन करते हुए उच्च गुणवत्ता के खाद्य–सामग्री, विपणन बिल्कुल साफ–सुथरे एवं हाईजेनिक कंडीशन में होगा। खाद्य–सामग्री सर्व करने वाले व्यक्ति सर्व करने के समय फेस मास्क, उच्च गुणवत्ता के ग्लब्स तथा इसके निर्माण में संलग्न कुक/सेफ, कैप, एपरन एवं साफ वर्दी में रहेंगे। सभी खाद्य सामग्री को निश्चित रूप से ढ़ककर रखा जाना है ताकि मच्छर, मक्खी, कीट, इत्यादि इसे दूषित नहीं कर सके।

2. (क) पटना में आयोजित होनेवाले व्यंजन मेला में आवेदक बिहार एवं अन्य राज्यों के प्रतिष्ठित खाद्य सामग्री का ही स्टॉल लगायेंगे। स्टॉल प्रतिष्ठित ब्रांडेड संस्था/केटरर को आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

   (ख) व्यंजन मेला में आवेदक/उद्यमी द्वारा व्यंजनों का निर्माण यथा संभव स्टॉल में किया जायेगा। प्रत्येक स्टॉल में निर्माण किये जानेवाले व्यंजनों का प्रकार आवेदक/उद्यमी द्वारा आवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

   (ग) स्टॉल का आवंटन बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि॰, पटना के द्वारा तय किया जायेगा।

3. किसी भी परिस्थिति में Stale Food आंवटी द्वारा सर्व नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर उनके द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी, तथा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

4. आवंटनधारियों को आवंटित कार्यस्थल यथा् स्थिति में वापस की जायेगी।

5. आवंटी को उच्चस्तरीय केटरिंग कार्य का सफलतापूर्वक कार्य कराने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इससे संबंधित सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

6. व्यंजन मेला में लगाने वाले फर्म का अद्यतन वार्षिक कारोबार विगत 03 वर्षो का औसतन कम से कम एक लाख रूपया का अनिवार्य है, इससे संबंधित प्रमाण आवेदन के साथ समर्पित करना आवश्यक होगा।

7. आवंटी अपनें कार्यस्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

8. आवंटी द्वारा आवश्यक उपस्करों, फर्नीचरों, बर्तन, क्रॉकरी आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर की जायेगी।

9. आवंटी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार–पटल पर्यटन निगम के अनुमोदन के पश्चात् लगाना होगा। आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य जगह पर कब्जा नहीं किया जायेगा।

10. आवंटी द्वारा आवंटित सम्पदा के आन्तरिक जल निकासी, पानी का पाईप, बिजली के तारों एवं अन्य सिवरेज की व्यवस्था अपने खर्च पर ठीक रखना सुनिश्चित करेंगे। कार्यस्थल एवं इसके आस–पास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखेंगे। प्रत्येक स्टॉल पर आवेदक द्वारा कम से कम दो बड़ा डस्टवीन रखा जायेगा। अपने दुकान के सामने वाले भाग को हमेशा स्वच्छ रखा जायेगा। सभी प्रकार के सौन्दर्यीकरण एवं सामान्य रख–रखाव का कार्य आवंटित धारी को अपने खर्च पर किया जायेगा। स्टॉल के आगे दो फुल का पौधा रखना अनिवार्य है।

11. प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवंटी द्वारा किये जा रहे कार्य, पकवान आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा।

12. आवंटी द्वारा कार्यस्थल में सफाई, स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं आवंटी द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य–सामग्री इत्यादि की सुविधा उचित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी एवं आगन्तुकों से नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्विस की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

13. आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् यदि समयानुसार कार्य नहीं की जाती है तो आवंटी द्वारा जमा सुरक्षित जमा राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।

14. आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा आवेदन–पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि आवंटी द्वारा अस्वीकार करते हैं या कोई शर्त्त रखते हैं तो वह मान्य नहीं होगा और उनका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि जब्त समझी जायेगी।

15. खाद्य एवं श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का आवंटी पूर्णरूपेण पालन करेंगे। इस संदर्भ में सभी प्रकार की जवाबदेही आवंटी की होगी।

16. सुरक्षित राशि की वापसी बिना किसी सूद के यदि किसी सामग्री की क्षति पहुँचायी गयी हो तो क्षति के विरूद्ध समतुल्य राशि के समायोजन के पश्चात् लौटाई जायेगी।

17. आवंटित को ज्वलनशील पदार्थ के उपयोग के लिए अग्निशमन नियमों का पालन कड़ाई से करना होगा।

18. आवंटित को आवंटित क्षेत्र में जल जमाव एवं कीचड़ नहीं होने देना होगा। इसका पूरा–पूरा ध्यान रखा जायेगा। ऐसा करने पर इनकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

19. बिहार में नशाबंदी पूर्णरूपेण लागू है। अतः किसी भी तरह के नशीली पदार्थ का उपयोग क्रय, विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके उल्लघंन पर कठोर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

20. सभी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच फुड इंस्पेक्टर द्वारा किया जायेगा। आवंटी धारी को खाद्य सामग्री तैयार/ बेचने के पूर्व आवश्यक रूप से प्रमाण पत्र फुड इंस्पेक्टर से प्राप्त करने होगे। तथा फुड लाईसेंस स्टॉल के बाहर चिपकाना होगा।

21. आवंटित धारी द्वारा आचरण प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

22. एकल प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

23. सक्षम पदाधिकारी से आवंटन आदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही व्यंजन मेला में निर्धारित स्थल पर स्टॉल लगायेगे।

ह०/–
महाप्रबंधक

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना

बिहार दिवस समारोह के अंतर्गत गाँधी मैदान, पटना में बिहार दिवस के आयोजन की अवधि में बिहार व्यंजन मेला 2026 (22– 24 मार्च) के आयोजन हेतु प्रस्ताव का प्रपत्रः

आवेदक की विवरणी

Photo

1. व्यंजन/उत्पाद का नाम :–...
2. आवेदक/उद्यमी का नाम :–...
3. वर्तमान पता (मोबाईल न0 सहित) :–...
4. स्थायी पता (दूरभाष सहित) :–...
5. खाद् सुरक्षा पंजीकरण/लाईसेंस (FSSAI NO.) :–...
6. व्यवसाय संचालन का अनुभव (वर्षो में):–..
7. 5000/–(पाँच हजार रू0) मात्र की अर्नेस्ट मनी बैक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से "बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 पटना" भुगतेय पटना के नाम से होगा।
8. **निगम को यह अधिकार होगा कि**
   - नियम उलघंन की स्थिति में उक्त राशि जब्त की जायेगी।
   - चयन न होने की स्थिति में राशि नियमानुसार वापस की जायेगी।
   - आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना है–
9. **आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न।**

   क– सक्षम प्राद्यिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र

   ख– आधार कार्ड, पैन कार्ड, फुड लाईसेंस की छाया प्रति।

   ग– जी0एस0टी0 न0 (यदि लागू हो):-

   घ– यदि आवेदक/उद्यमी लीज/लाईसेंस पर होटल, रेस्ट हाउस, दुकान आदि का संचालन कर रहे हैं तो संबंधित से No Dues रहित प्रमाण पत्र।
10. **शर्ते एवं नियम (Terms & Conditions)**
    - स्टॉल आंवटन पूर्णतः निगम के विवेकाधिकार पर अधारित होगा।
    - मेला अवधि (22–24 मार्च, 2026) के दौरान आवेदक को निर्धारित स्थल पर ही व्यवसाय संचालन करना होगा।
    - किसी प्रकार का अवैध, प्रतिबंधित अथवा अस्वच्छ खाद् पदार्थ विक्रय पूर्णतः निषिद्ध होगा।
    - स्वच्छता कचरा निस्तारण एवं खाद्य सुरक्षा मानको का पालन करना अनिवार्य होगा।
    - विद्युत, अग्नि–सुरक्षा एवं अन्य प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
    - निगम को किसी भी समय निरीक्षण करने एवं आवश्यक निर्देश देने का अधिकार सुरक्षित होगा।
11. **दंड प्रावधान (Penalty Clause)**
    - नियम उल्लघन की स्थिति में अर्नेस्ट मनी जब्त की जा सकती है।
    - स्टॉल तत्काल निरस्त किया जा सकता है।
    - भविष्य में निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमें में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
    - किसी भी दुर्घटना, खाद्य विषात्तता, अग्निकांड अथवा अन्य हानि की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा।
12. **आवेदक/उद्यमी का अन्डरटेंकिंग**
    - मेरे द्वारा नियमावली/नियम एवं शर्त्तें अच्छी तरह पढ़ने/समझने के उपरांत यह आवेदन–पत्र दिया जा रहा है। निगम द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्त्तों के अनुसार आवंटित फुड स्टॉल का संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
    - मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गए सभी तथ्य/संलग्न कागजात अथवा प्रमाण–पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में किसी भी स्तर पर कोई भी कागजात/सुचनायें गलत पाये जाने पर अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम यथोचित कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगे।

दिनांक–

स्थानः–

आवेदक/उद्यमी का हस्ताक्षर